परियोजना का नाम :– **जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि0मी0), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

प्रतिवेदन

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजागार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एंव स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 250 से अधिक आवादी वाले असंयोजित बसावटों को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यकम संचालित किया गया हैं। उक्त के क्रम में सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड शासन के पत्रांक :–1859/पी0–14/यू0आर0आर0डी0ए0 दिनॉक 09/01/2012 उत्तराखंड शासन द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना के फेज –IX के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया हैं। (शासनादेश की फोटो प्रति संलग्न है)

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसावट दसउ (CC 479200,H41,Pop-238) एवं अतलियो (CC 479700,H03,Pop-325) की आवादी अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित् विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते है। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपल्वध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेंणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के संरेखण में नाप भूमि 3.8610 है0, सिविल सोयम भूमि 3.6365 है0 एवं वन पंचायत भूमि 2.2330 है0, प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, वन पंचायत एवम सिविल सोयम भूमि कुल 5.8695 है0 है, जिसका भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है।

संरेखण नं0 1 :– के अनुसार यह मोटर मार्ग जनपद देहरादून में विकासखण्ड कालसी के अन्तर्गत हरिपुर से कोटी कि0मी0 19 (तुनिया) से समरेखण प्रारम्भ होता है। इस संरेखण में 13 हेयर पिन बैण्ड प्रस्तावित हैं। जो कि क्रमशः 0/27, 1/23, 3/6, 3/33, 4/18, 4/40, 5/16, 5/32, 6/5, 8/13, 8/24, 9/31, 10/39 पर है । इस संरेखण में अधिकतर नाप भूमि के अतिरिक्त बीच– बीच में सिविल सोयम भूमि आती है, इस संरेखण में मोटर मार्ग निर्माण करने में वृक्ष प्रभावित नहीं होते है तकनिकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है एवं अधिक से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। इसके अनुसार मोटर मार्ग की लम्बाई भी कम आती है। इस संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में गांमवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत है।

संरेखण नं0 2 :– के अनुसार यह मोटर मार्ग जनपद देहरादून में विकासखण्ड कालसी के अन्तर्गत हरिपुर से कोटी कि0मी0 19 (तुनिया) से समरेखण प्रारम्भ होता है। इस संरेखण की कुल ल0 13कि0मी0 आती है। एवं 17 हेयर पिन बैण्ड पडते है। संरेखण की ल0 अधिक होने के कारण तथा संरेखण का अधिकतर भाग नाप क्षेत्र से तथा वन क्षेत्र से होकर गुजरती है जिस कारण यह संरेखण तकनिकी दृष्टि से उचित नहीं पाया गया है एवं ल0 अधिक होने के कारण भी ग्रामवासी संरेखण से सहमत नहीं है। मोटर मार्ग का कुछ भाग कच्ची भूमि से भी गुजरता है। तकनिकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड नहीं मिलता है इस संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में गांमवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए संरेखण नं0 2 को निरस्त कर संरेखण नं0 1 को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों का संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण नं0 1 को मार्ग निर्माण हेतु तकनिकी, पर्यावरणीय एंव भूमीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः 12.675 कि0मी0 लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार 7 मीटर चौड़ाइ में आने वाली वन पंचायत एवं सिविल सोयम वन भूमि 5.8695 है0 प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

कनिष्ट अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई	पी0एम0जी0एस0वाई	पी0एम0जी0एस0वाई
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,हरिद्वार	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,हरिद्वार	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून	(मुख्यालय कालसी), देहरादून	(मुख्यालय कालसी), देहरादून